## LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Friday, 09 September, 2016/18, Bhaadrapada, 1938 (Saka)

No. 78

Sub:

## DETENTION OF MEMBER

Hon'ble members are hereby informed that the following message has been received from Commissioner of Police, Greater Chennai Police, Vepery, Chennai-600007:

"Hon'ble MLA Sh. Somnath Bharti, (Malviya Nagar, Assembly Constituency, New Delhi Aam Aadmi Party) alongwith party cadres (27) assembled at the AAP State Headquarters, Peravallur, Chennai, today (6-9-2016) and attempted to take out a procession with a view to layseige to the residence of the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, in violation of regulatory orders in force, demanding immediate establishment of Lokayuktha in Tamil Nadu. They were arrested at about 16.35 hrs. and removed to nearby Marriage Hall, Peravallur, Chennai. In this connection, a case in K5 Peravallur PS Crime No.596/2016 u/s 143, 188, 285 IPC was registered. Later, Tr. Somnath Bharti, MLA and others were released."

Prasanna Kumar Suryadevara Secretary

## विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2016/18 भाद्रपद, 1938 (शक)

संख्या-78

विषय:-

## सदस्य की गिरफ्तारी

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, पुलिस आयुक्त, ग्रेटर चेन्नई पुलिस, वेपेरी, चेन्नई — 600007, से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

"माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती, मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र, नई दिल्ली आम आदमी पार्टी ने 27 पार्टी कार्य कर्ताओं के साथ आज 06.09.2016 आप के प्रदेश मुख्यालय, पेरवल्लूर, चेन्नई में एकत्रित होकर तिमलनाडु में लोकायुक्त की तत्काल स्थापना की मांग के लिए, नियामक आदेशों का उल्लंघन करते हुए, तिमलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री के निवास के घेराव के उद्देश्य से एक जुलूस निकालने का प्रयास किया। उन्हें अपराहन लगभग 4.35 बजे गिरफ्तार करके नजदीकी मैरिज हॉल, पेरवल्लूर, चेन्नई में ले जाया गया। इस संबंध में आई.पी. सी की धारा 143,188,285 के अंतर्गत k 5 पेरवल्लूर पुलिस थाना में क्राइम संख्या 596/2016 में एक मामला रिजस्टर्ड किया गया। बाद में श्री सोमनाथ भारती तथा अन्य व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। "

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव